

पत्र संख्या- परिपत्र -फार्म अनुभाग /

31/09/0019

/ वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(फार्म अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 5-6-2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कतिपय वस्तुओं के परिवहन के दौरान फार्म 21 माल के साथ उपलब्ध होने की व्यवस्था है। वर्तमान में कतिपय कारणों से इस फार्म की कमी है जिससे व्यापारियों को ऐसे माल के परिवहन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः अग्रिम आदेशों तक ऐसे माल के परिवहन के लिए निम्न व्यवस्था की जाती है :-

व्यापारी द्वारा माल का परिवहन आरम्भ किये जाने के पूर्व माल के टैक्स इनवायस / सेल इनवायस को दो प्रतियों में (यदि व्यापारी को दो प्रतियाँ प्रस्तुत करने में कठिनाई हो तो एक मूल प्रति तथा दूसरी फोटो प्रति) अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कर निर्धारण अधिकारी निम्न प्रारूप में एक रजिस्टर में उस बिल का इन्द्राज करते हुये मूल प्रति पर मुहरयुक्त हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करते हुए उसे पृष्ठांकित करेंगे जिसकी मूल प्रति व्यापारी को तुरन्त वापस कर देंगे तथा दूसरी प्रति / फोटो प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे जिसे व्यापारी की पत्रावली पर रखा जाएगा। यदि कोई व्यापारी किसी अन्य मण्डल में पंजीकृत है तथा ब्रान्च / डिपो से माल भेजा जा रहा है तो उस ब्रान्च / डिपो के संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे बिलों का पृष्ठांकन किया जाएगा। व्यापारी ऐसे पृष्ठांकित मूल प्रति के आधार पर माल का परिवहन कर सकेंगे।

रजिस्टर का प्रारूप

क्र०सं०	दिनांक	विक्रेता व्यापारी का नाम / पता	बिल नंबर / दिनांक	माल का विवरण	धनराशि	बिल पृष्ठांकित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

कृपया इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(अनिल संत)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ०प०संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन (अनुभाग -4) उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा०/कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वी०पी० श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिशनर (चेकपोस्ट/ फार्म) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।